



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 16.09.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

थाना कुबेरस्थान

दिनांक 15.09.2019 को वादी श्री रामप्रवेश मुशहर पुत्र स्व0 कैलाश निवासी लक्ष्मीपुर मुशहर पट्टी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर ने सूचना दिया कि मेरी बहन उषा की शादी सुरेन्द्र मुशहर पुत्र बसन्त मुहशर सा0 छितौनी टोला नरकहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर के साथ हुयी थी। लगभग एक माह पहले किसी बात को लेकर मेरी बहन उषा व उसके पति सुरेन्द्र मुशहर के बीच झगड़ा हुआ था तभी से मेरी बहन उषा हमारे घर लक्ष्मीपुर मुशहर पट्टी मायके में आकर रह रही थी। उसका पति सुरेन्द्र मुशहर 10 दिन से उसको ले जाने के लिए हमारे घर आ जा रहा था। मेरी बहन उसके साथ जाने से मना कर रही थी। दिनांक 15.09.2019 की रात्रि में समय 04.00 AM बजे सुरेन्द्र मुशहर ने मेरी बहन उषा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया और भाग गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कुबेरस्थान पर मु0अ0सं0 199/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16.09.2019 को अभियुक्त सुरेन्द्र मुशहर पुत्र बसन्त मुशहर सा0 छितौनी टोला नरकहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर उम्र 42 वर्ष को समय 09.00 बजे पनसारा इनार सेमराहर्दो चौराहा थाना कुबेरस्थान से स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुरेन्द्र मुशहर की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद टांगा/कुल्हाड़ी (बेंट मय फल) बरामद किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. सुरेन्द्र मुशहर पुत्र बसन्त मुशहर सा0 छितौनी टोला नरकहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर उम्र 42 वर्ष।

बरामदगी आलाकत्ल- एक अदद कुल्हाड़ी/टांगा (बेंट मय फल)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. SHO श्री रामकृष्ण यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि रामप्यारे सिंह यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
3. उ0नि0 आहुत कुमार यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
4. हे0का0 लल्लन यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

थाना तरया सुजान

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन में अवैध शराब के परिवहन व बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री राणा महेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा एक मारूति कार ईको से 23 पेटी हीट प्रिमियम विस्की महोली पंजाब निर्मित शराब को बिहार राज्य में बेचने के उद्देश्य से गाड़ी में लाद कर ले जाते हुए बनवरिया एनएच 28 के पास से बरामदगी करते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 443/19 धारा 60/62/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

- 1- राहुल यादव पुत्र मनोज यादव सा0 हेमदावा , थाना कुचैकोट जनपद गोपालगंज बिहार
- 2- बृजनन्दन राय पुत्र रामअवतार राय सा0 मेहदिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3- बबलू राय पुत्र देवनरायन राय सा0 मेहदिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण

- 1- 23 पेटी हीट प्रिमियम विस्की महोली पंजाब निर्मित
- 2- एक अदद मारूती इको कार वाहन संख्या GA 03 P 7025

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- उ0नि0 श्री शमशेर यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2- उ0नि0 श्री रामलक्ष्मण सिंह थाना तरया सुजान कुशीनगर
- 3- का0 अमरमणि थाना तरया सुजान कुशीनगर
- 4- का0 राजू यादव थाना तरया सुजान कुशीनगर

➤ **वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल- 02)**

थाना कोतवाली पडरौना -

थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी - सगीर खान पुत्र वाजिर खान सा0- खड्डा बुजुर्ग थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 29/17 में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना अहिरौली बाजार -

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी - रामदुलारे पुत्र परदेशी सा0- भगवानपुर भरवलिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 250/19 धारा- 323/504/506 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 50 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ **कार्यवाही एक नजर में =**

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-, सीज-02 , वाहन-25 से शमन शुल्क- रु0-11000
- 2- वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-01)
- 3- वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-02)

**मीडिया सेल
कुशीनगर।**